



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 548]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2009/अश्विन 1, 1931

No. 548]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2009/ASVINA 1, 1931

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 691(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 और खंड 5 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 135(अ) तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 136(अ) तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 137(अ) तारीख 17 फरवरी, 2000, सा.का.नि. 138(अ) तारीख 17 फरवरी, 2000 और सा.का.नि. 157(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 के उपबंध चीनी के किसी उत्पादक द्वारा आयातित कच्ची चीनी से प्रसंस्कृत चीनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जॉब आधार पर इसके प्रसंस्करण के संबंध में और भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एस.टी.सी.), एमएमटीसी लिमिटेड (एम.एम.टी.सी.), भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम लिमिटेड (पी.ई.सी.) और राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद लिमिटेड (नेफेड) या किसी अन्य केन्द्रीय या राज्य सरकार के पब्लिक सेक्टर अधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 30 नवम्बर, 2009 तक दस लाख टन आयातित श्वेत चीनी या परिष्कृत चीनी के संबंध में 31 मार्च, 2010 तक लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 1(4)/2009-एसपी-1]

आर. पी. भागरिया, मुख्य निदेशक (शर्करा)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD
AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 23rd September, 2009

G.S.R. 691(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clauses 4 and 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby directs that the provisions of the notifications number G.S.R 135(E) dated 17th February, 2000, G.S.R 136(E) dated 17th February, 2000, G.S.R 137(E) dated 17th February, 2000, G.S.R 138(E) dated 17th February, 2000 and G.S.R 157(E) dated 1st March, 2002, shall not be applicable till 31st March, 2010 in respect of sugar processed from imported raw sugar by a producer of sugar or any other person for processing it on job basis and in respect of white sugar or refined sugar imported upto ten lakh tons till 30th November, 2009 by State Trading Corporation of India Ltd. (STC), MMTC Ltd. (MMTC), Projects and Equipment Corporation of India Ltd. (PEC) and National Agricultural Marketing Federation of India Ltd (NAFED) or any other Central or State Public Sector agency or any other person.

[F. No. 1(4)/2009-SP. I]

R. P. BHAGRIA, Chief Director (Sugar)